आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3
15/11/19	**आदेश**	

अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–03.08.2019 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में परिवादी बाबुलाल यादव, पिता–स्व0 भुथन यादव, ग्राम–लश्करी, पो0–लश्करी, प्रखंड–रजौन, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या– 423118010041900045/2A वर्ष–2019 बाबुलाल यादव बनाम् अंचल अधिकारी, रजौन है।

परिवादी द्वारा अतिक्रमित जमीन को खाली कराने का अनुरोध किया गया है। परिवाद के आलोक में अंचल अधिकारी, रजौन के पत्रांक–1042 दिनांक–11.09.2019 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। निर्धारित तिथि पर अपीलार्थी अनुपस्थित है। विगत दो तिथियों पर भी परिवादी अनुपस्थित रहे थे।

अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–लश्करी, थाना सं0–510, खाता सं0–180, खेसरा सं0–203, रकवा–02.55 एकड़ जमीन खतियान में अनावाद बिहार सरकार किस्म रास्ता दर्ज है। अतिक्रमण वाद सं0–01/18–19 के आलोक में विधिवत् सूचना देकर कुल–45 अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया गया है। अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में विधि के अधीन कार्रवाई कर दी जायेगी।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, रजौन को आदेश दिया जाता है कि अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई शीघ्र करें। तद्आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

जिला पदाधिकारी,
बांका

जिला पदाधिकारी
–सह–
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार,
जिला लोक शिकायत निवारण,
बांका।

D:\Legal Section\Niranjan 2015-16\Oct2016\DM Court Order.docx